

स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना

आवेदक मेसर्स रायगढ़ माईनिंग एण्ड बेनिफिकेशन प्रा.लि. रायगढ़ द्वारा CONSTRUCTION OF NEW ROAD (We will use this proposed forest land for our crusher plant] the proposed forest land will be used for inward and outgoing material for our crusher unit) हेतु कुल 0.997 है, वनभूमि प्रभावित हो रहा है। प्रस्तावित रकबा 1,000 है. से कम होने के कारण वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु भारत सरकार के नवीन मार्गदर्शी हैण्डबुक के पृष्ठ क्रमांक 48 के पैरा 2.6(I) के अनुसार यदि कोई वृक्ष विदोहन होता है तो उसका 10 गुना वृक्ष लगाने या यदि कोई वृक्ष विदोहन नहीं होता है तो न्यूनतम 100 वृक्ष के दर से 10 वर्षीय रखरखाव में जो लागत आवेगा उसे आवेदक संस्थान द्वारा प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रकरण में प्रत्यावर्तित क्षेत्र वृक्ष विहीन होने के फलस्वरूप न्यूनतम 100 वृक्ष लगाने तथा रखरखाव में जो लागत आवेगा वह लागत आवेदक मेसर्स रायगढ़ माईनिंग एण्ड बेनिफिकेशन प्रा.लि. रायगढ़ प्रदाय करने में वचनबद्ध है।

अतः स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की आवश्यकता नहीं है।



Raigarh Mining and Beneficiation Pvt. Ltd.

प्राधिकृत अधिकारी

Director

मेसर्स रायगढ़ माईनिंग एण्ड
बेनिफिकेशन प्रा.लि. रायगढ़



वनमंडलाधिकारी
जांजगीर-चांपा वनमंडल

जांजगीर-चांपा वनमंडल, जांजगीर-चांपा